

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 29699 / 2025 / 12758776

दिनांक- 02/1/25

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कर्मियों को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है एवं इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

क्र.स	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	स्वे. सेवानिवृत्ति तिथि
1	राजकुमारी म.स्वा.कार्यकर्ता	जयपुर	04.06.1969	03.01.2025

प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक-

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ 29699 / 2025 /

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :02-01-2025 10:40:55